न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. मनोज कुमार पुत्र हीरा जी घांची, उम्र 38 वर्ष, जाति- घांची,
   निवासी- भूमि विकास बैंक के पीछे, इन्दिरा कॉलोनी, रेवदर, जिला- सिरोही
   (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- हरि ओम डेयरी, नया बाजार, राना चौक, रेवदर, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 23/2019

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. म्नोज कुमार, प्रतिवादी अभियुक्त स्वयं

-: निर्णय :- दिनांक 25 नवम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 20.7.2018 को समय 2.00 पी.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म हरि ओम डेयरी, नया बाजार, राना चौक, रेवदर, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मनोज कुमार पुत्र हीरा जी घांची, जाति- घांची, निवासी- भूमि विकास बैंक के पीछे, इन्दिरा कॉलोनी, रेवदर, जिला- सिरोही है एवं फर्म हरि ओम डेयरी, नया बाजार, राना चौक, रेवदर पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) के 18x500 ML पेक्ड जारों में से 4x500 पैक्ड जार जांच के लिये खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 900/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खरीद रसीद बिल पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर है। फार्म संख्या- 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त

....पेज दो पर

की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना जारों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-808 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.7.2018 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 20.7.2018 को शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) का नमूना S-808 असुरक्षित खाद्य (Unsafe) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार एवं निर्माता फर्म को भी जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म नम्बर 8 में रिपोर्ट प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, मनोज कुमार ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत किया। नमूने की पुनः जांच का आवेदन प्राप्त होने पर नमूने के द्वितीय भाग को पुनः जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेट्री भिजवाया गया। निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेट्री की जांच रिपोर्ट संख्या RFL/DO/418/19/779/2019 दिनांक 27.8.2019 के अनुसार नमूना संख्या एस-808 गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में अभिहित

.....पेज तीन पर

अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ गाय का घी(मधुवन ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 19.11.2019 को प्रतिवादी अभियुक्त मनोज कुमार उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 20.7.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस गाय के घी मधुवन का नमूना लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड एवं सबस्टेण्डर्ड पाया गया है, वह मैनें फेरी वाले से लिया था इसका बिल मेरे पास में नही है। भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करुंगा। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ। मुश्किल से गुजारा चलाता हूँ। यह मेरी प्रथम गलती है। कृप्या मुझे इस मुकदमें से मुक्त कराने की कृपा करावे।

(3) प्रकरण में उक्तानुसार प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 19.11.2019 को ही उभय पक्ष की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी अभियुक्त ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध किया कि वह छोटा सा व्यापारी है व भविष्य में बिल से खाद्य पदार्थ खरीदेगा व मिथ्याछाप व अमानक खाद्य सामग्री विक्रय नही करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.7.2018 को 2.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय

.....पेज चार पर

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म हरि ओम डेयरी, नया बाजार, राना चौक, रेवदर, जिला-सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म हरि ओम डेयरी, नया बाजार, राना चौक, रेवदर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मनोज कुमार पुत्र हीरा जी घांची, जाति- घांची, निवासी- भूमि विकास बैक के पीछे, इन्दिरा कॉलोनी, रेवदर उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म हरि ओम डेयरी, नया बाजार, राना चौक, रेवदर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री सुरेश कुमार जोशी पुत्र श्री कन्हैयालाल जोशी, निवासी- राना चौक, रेवदर, जिला- सिरोही एवं श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष मैनेजर/खाद्यकारोबारकर्ता मनोज कुमार को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) के 18 पैक्ड जार (प्रत्येक जार 500 एम.एल.) में से गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक जार 500 एम.एल.) जांच हेतु खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 900/- (अक्षरे रुपये नौ सौ मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता मनोज कुमार व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-808, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता मनोज कुमार व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) के चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-808 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता मनोज कुमार व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का विल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में

....पेज पांच पर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म हरि ओम डेयरी, नया बाजार, राना चौक, रेवदर, जिला- सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता मनोज कुमार से खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से लिफावों में रखकर लिफावों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा दिनांक 23.7.2018 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 20.7.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-808 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./549/Act/2018/568 दिनांक 03.8.2018 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म हरि ओम डेयरी, नया बाजर, राना चौक, रेवदर, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता मनोज कुमार से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz)(iv) के अन्तर्गत असुरक्षित खाद्य एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी मनोज कुमार व संबंधित फर्म को भेजकर सूचित किया गया कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिवस में अपील आवेदन अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करे। जिस पर प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) के नमूना संख्या- 808 के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेट्री, पूना को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, रेफरल फूड लेब्रोरेट्री, पूना के Certificate of Analysis by the Referral Food Laboratory No.RFL/DO/418/19/779/2019 दिनांक 27.8.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) नमूना संख्या-808 अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

.....पेज छः पर

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी अभियुक्त ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान उक्त खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) की खरीद का बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया है एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में, उक्त अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछांप (Misbranded) खाद्य पदार्थ गाय का घी (मधुवन ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अभियुक्त ही उत्तरदायी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 व 52 के तहत प्रतिवादी मनोज कुमार पुत्र हीरा जी घांची, जाति- घांची, निवासी- भूमि विकास बैंक के पीछे, इन्दिरा कॉलोनी, रेवदर, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म हरि ओम डेयरी, नया बाजार, राना चौक, रेवदर, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी मनोज कुमार पुत्र हीरा जी घांची, जाति- घांची, निवासी- भूमि विकास बैंक के पीछे, इन्दिरा कॉलोनी, रेवदर, जिला- सिरोही को आदेशित को किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.27 13:47:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: